प्रेस विज्ञप्ति
16.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने एलआईसी चेकों की धोखाधड़ी से नकदीकरण करवाने से संबंधित धन-शोधन मामले में समीर जोशी, आरोपित संख्या 2 को दोषी सिद्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, लखनऊ ने दिनांक 15.09.2026 के निर्णय के माध्यम से समीर जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत दोषी ठहराया तथा उन्हें 3 वर्ष व 6 महीने के कठोर कारावास के साथ ₹20,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

लगभग 54.23 लाख रुपये के 29 फर्जी एलआईसी चेकों को तैयार करने और उनके नकदीकरण करवाने के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि समीर जोशी ने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से उन आगमों को प्राप्त किया और उसके बाद व्यावसायिक गतिविधियों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उस राशि का उपभोग/उपयोग किया।

ईडी की जांच के दौरान, समीर जोशी से संबंधित 14,000 रुपये को अपराध की आय के रूप में चिह्नित किया गया था। तदनुसार, 17.03.2018 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 03/2018 के माध्यम से उक्त राशि को उनकी पैतृक संपत्ति के मूल्य के एवज में कुर्क किया गया था। इसके उपरांत, माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा मूल शिकायत संख्या 924/2018 में 06.09.2018 के आदेश के माध्यम से कुर्की की पुष्टि की गई थी।

उक्त अनुसूचित अपराध का न्याय-निर्णयन एलईए/सीबीआई न्यायालय द्वारा भी किया गया, जिसके द्वारा 07.08.2026 के निर्णय के माध्यम से समीर जोशी को दोषी ठहराया गया और समवर्ती सजाओं के साथ-साथ उन्हें जुर्माना सहित 1 वर्ष 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि समीर जोशी को दोषी ठहराते हुए, माननीय विशेष न्यायालय ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(5) के तहत ₹14,000/- की आपराध की आय के एवज में कुर्क की गई संपत्ति को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का निदेश भी दिया।

आगे की जांच जारी है।